



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1296]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2018/चैत्र 12, 1940

No. 1296]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2018/CHAITRA 12, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2018

का.आ. 1434(अ).—वित्त अधिनियम, 2018 (वर्ष 2018 का 13) की धारा 209 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय VIII के खण्ड XV के उपबंधों के लागू होने की तारीख के रूप में 31 मार्च, 2018 को नियत करती है।

[फा. सं. 3/10/2017-एफआरबीएम]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2018

S.O. 1434(E).—In exercise of powers conferred by section 209 of the Finance Act, 2018 (No.13 of 2018), the Central Government hereby appoints the 31st day of March, 2018 as the date on which the provisions of PART XV of Chapter VIII of the said Act shall come into force.

[F. No. 3/10/2017-FRBM]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.